सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
## पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश चौधरी आर0ए0एस0
## राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 77/2015

मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी चांग चितार रोड, ब्यावर स्थाई नाबालिग बजरिये नेक्सट फ्रेण्ड श्री कैलाशचन्द जी सोगानी उम्र करीबन 89 साल सुपुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी सोगानी जाति जैन निवासी 2/35 चम्पानगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0 ————प्रार्थी

**ब ना म**

1– श्री शांतिलाल गदिया उम्र करीबन 76 साल पुत्र श्री राजमल जी गदिया जाति जैन निवासी भाांति निकेतन नवरंग नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर
2– श्री सुमन दगडा उम्र करीबन 57 साल पुत्र श्री कमलकुमार जी दगडा जैन निवासी ''वसुंधरा'' कुमावत होटल के सामने फतेहपुरिया चौपड, ब्यावर
3– श्री सुशीलकुमार बडज्यात्या उम्र करीबन 59 साल पुत्र श्री ताराचन्द जी जाति जैन निवासी गर्ल्स स्कूल के पास डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर
4– श्री धर्मचन्द रांवका उम्र करीबन 61 साल पुत्र स्व. अमरचन्द जी रावंका जाति जैन निवासी रविदत्त आर्यनगर देलवाडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
5– श्री गुरूवचनसिंह पंजाबी उर्फ गुरूवचनसिंह उम्र करीबन 56 साल पुत्र श्री हवेलीराम जाति पंजाबी निवासी चांगचितार रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
6– श्री प्रीतमसिंह दुआ उम्र करीबन 51 साल पुत्र श्री जोधराज जाति पंजाबी निवासी चांगचितार रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
7– श्री बालकिशन अरोडा उम्र करीबन 56 साल पुत्र श्री गोरधनदास जाति खत्री निवासी मार्फत गोरधनदास मिश्रीलाल तम्बाकू फेक्ट्री सेन्दडा रोड, ब्यावर
8– लोकन्यास श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर जिला–अजमेर एक पंजीकृत संस्था जरिये इसके अध्यक्ष सरावगी मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर
9– राजस्थान सरकार बजरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर
10– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
11– श्रीमान् सबरजिस्ट्रार महोदय, ब्यावर
12– अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर जरिये इसके अधीक्षण अभियन्ता
13– नगरपरिषद, ब्यावर जरिये आयुक्त महोदय

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पढते हुये आदेश 40 नियम 1 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक 22-10-2018

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं, कि मौजा फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 1102 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2, 1103 रकबा 01–14–00 किस्म चाही–2, 1104 रकबा 00–13–00 किस्म चाही–1, 1106 रकबा 00–04–10 किस्म गै.मु.चाह, 1107 रकबा 07–00–00 किस्म चाही–2 व खसरा नंबर 1107/1146 रकबा 00–16–00 किस्म चाही–1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 11–12–10 स्थित है। वादग्रस्त भूमियां पूर्व सेटलमेंट 1350 फसली तदनुसार सन् 1940–41 से ही मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी नयानगर के नाम से खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। और मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी जो एक परप्रीचुउल माईनर है

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

और वादग्रस्त भूमियो के खातेदार काश्तकार व काबिज चले आ रहे है। जो मंदिर मूर्ति श्री दिगम्बर जैन मंदिर पारसनाथ जी ब्यावर में विराजमान है। उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्व में अवेध रूप से राजस्व भू–अभिलेखो में श्री अणदा, मांगीलाल व मोतीलाल के नाम अंकित कर दी गई थी। उक्त अवेध इन्द्राजात को निरस्त किये जाने हेतू अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 04.02.1980 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान को रेफरेंस प्रेषित किया जिस रेफरेंस संख्या 8/80/एल.आर./अजमेर उनवानी राज्य सरकार बनाम मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने दिनांक 02.04.1988 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित भूमि मूर्ति मंदिर श्री पारसनाथ जी (श्री पार्श्वनाथ जी) की खातेदारी में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जिसकी कियान्विति में राजस्व भू–अभिलेखो में प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री पारसनाथ जी (पार्श्वनाथ जी) का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया। मूर्ति मंदिर श्री पारसनाथ जी की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि की व्यवस्था एक पंजीकृत संस्था "श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर " द्वारा किया जाता है। श्री दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के समक्ष पंजीकृत संस्था है जिसके कर्तव्य एंव अधिकार अन्य कार्यो के अलावा प्रार्थी मूर्ति श्री 1008 श्री पारसनाथ जी(पार्श्वनाथ जी) विराजमान श्री दिगम्बर जैन मंदिर श्री पारसनाथ जी की व्यवस्था करने व उसकी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि की रक्षा करने का भी है। उक्त भूमियों के विषय में अप्रार्थी संख्या 8 दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर ने उक्त भूमियो की जमाबंदी में जरिये दाखिल खारीज संख्या 1558 दिनांक 13.11.2006 में गलत व गैर कानूनी रूप से जरिये व्यवस्थापक अध्यक्ष दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर का नाम मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी सा नयानगर के आगे अंकित करवा दिया गया है। उसमें भी अप्रार्थी संख्या 8 की हैसियत केवलमात्र व्यवस्थापक के है न कि मालिक अथवा खातेदार के इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 और अप्रार्थी संख्या 8 व उनके पदाधिकारीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमियो को अपनी स्वामित्व की भूमि मानकर सामान्तर कार्यवाही करते हुये किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की शुरू से ही बदनियती उक्त मंदिर मूर्ति पारसनाथ जी शास्वत नाबालिग की उक्त जमीनों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से खुर्द बुर्द कर हडप करने की हो गई थी। इसलिये उन्होने इस क्रम में उक्त भूमियों को विक्रय करने हेतु उपशासन सचिव देवस्थान विभाग के आयुक्त से दिनांक 13.10.2003 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 के हक में धारा 79 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत लीज अथवा हस्तांतरण करने की बिना प्रार्थीगण की जानकारी के गलत व गैर कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त कर ली। किन्तु बाद में उक्त आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2005 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो को ट्रस्ट सम्पत्ति नही मानकर मूर्ति मंदिर पारसनाथ जी की सम्पत्तियां होना मानकर पूर्व में दी गई अनुमति के आदेश को निरस्त कर दिया। अप्रार्थी संख्या 8 के तत्कालीन अध्यक्ष स्व. ताराचन्द जी बडज्यात्या ने वादग्रस्त भूमियों के पूर्वी भाग की 3.6478 बीघा यानि 7061 वर्गगज भूमि 29 वर्ष के लिये अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 से मिली भगती कर उनके प्रत्येक के हक में 1.2159 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में गलत व गैर कानूनी रूप से दिनांक 15.12.2003 को बिना किसी अधिकार के चुपचाप कब्जा कृषि प्रयोजनार्थ लीज बताकर गलत व गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का करवा दिया।

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

( सुरेश चौधरी )
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

और बदनियती व बेईमानी से इस हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2007 को तहसीलदार, ब्यावर को पेश कर कृषि फसल एंव बगीचे की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण करने की अनुमति देने बाबत पेश कर दीवार बनाने की अनुमति दिनांक 07.12.2007 को हांसिल कर ली। उक्त दीबार बनाने की अनुमति की आड में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने मिली भगती कर उक्त लीज पर दी गई जमीन के तीन टुकडो में विभक्त कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 8 और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उक्त भूमियो को अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में लीज अथवा किराये पर अथवा अन्य प्रकार से व किसी भी हस्तांतरण के द्धारा कानूनन दे ही नही सकते थे अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 काश्तकार वृति के नही है, बल्कि व्यापारी है, और उनको उक्त तथाकथित लीज कृषि प्रयोजनार्थ नही दी जाकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपभोग कराने के कारण से उक्त कार्यवाही अवेध व प्रभावशून्य है। उक्त तथाकथित लीज व तथाकथित किराये पर कानूनन कृषि प्रयोजनार्थ 5 साल से अधिक की अवधि के लिये दी भी नही जा सकती थी इसलिये उक्त तथाकथित लीज अथवा तथाकथित किरायेदारी अवेध, अनाधिकृत व प्रभावशून्य है। और उससे अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में कोई हक व अधिकार संबंध व सरोकार, स्वत्व व मालिकाना निहित नही हुये है। अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमियो में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 की जानकारी में कभी कोई कृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही किया बल्कि अप्रार्थी गुरूवचनसिंह ने उक्त कृषि भूमियो में अपनी प्राईवेट स्कूल चलाने के लिये कमरे आदि का कार्य सन् 2008 से शुरू कर दिया और निर्माण कार्य करवाकर उसे अजनाम ''बचपन स्कूल'' के नाम से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संचालित सन् 2009 से कर रहा है। तथा शेष भाग में एच0एस0 पैलेस के नाम से विवाह स्थल के रूप में संचालित कर उसका व्यवसायिक उपयोग कर नाजायज फायदा प्राप्त कर रहा है। और इस हेतू उसने बहुत सारे कमरे, हॉल, लेट्रिन, बाथरूम एंव भोजनशाला आदि बनाकर विवाह स्थल के रूप में ग्राहको को गैर कानूनी रूप से किराये पर देकर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि उसने उक्त कार्य हेतु अप्रार्थी बालकिशन अरोडा का हिस्सा गुप्त रूप से उसके उक्त हिस्से की जमीन गलत व गैर कानूनी रूप से प्राप्त कर ली है, और बालकिशन ने उसका कब्जा अप्रार्थी गुरूवचनसिंह को हस्तांतरित/पार्टवीथ कर रखा है। इसी प्रकार से अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने अपने उक्त तथाकथित लीज वाले उक्त वादग्रस्त भूमि के भू भाग में चांगचितार रोड की तरफ से अपने मकान तक अवेध सडक (रास्ता) निकाल कर वादग्रस्त भूमियो के उस भाग पर अवेध रूप से राम भवन का नाम प्रदान कर दिया है। और उस भाग की तरफ अपने मकान के गलत गैर कानूनी एंव अनाधिकृत रूप से दरवाजे खिडकीयां, बॉलकानी आदि सन् 2010 में स्थापित कर लिये है, और उधर से अपना नाजायज आना जाना कर उक्त भूमि का गैरकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहा है, जो कार्यवाही सर्वथा वादग्रस्त भूमियो के विषय में अवेध व प्रभावशून्य है। उपरोक्त कृषि भूमियो पर उपरोक्त वर्णित कराये गये अवेध निर्माण के लिये भी नगरपरिषद, ब्यावर से न तो कोई लैण्ड यूज चेंज करवाया गया है, और न करवाया जा सकता है। और न कोई निर्माण स्वीकृति हांसिल की है, न कन्वर्जन करवाया है। तथा विवाह स्थल व स्कूल संचालन करने के लिये भी सक्षम अधिकारीयो से कोई पंजीकरण भी नही करवाया गया है, और न कोई ऐसी सक्षम अधिकारीयो से अनुमति प्राप्त की है। और ऐसी अनुमति प्राप्त की जा सकी है न पंजीकरण करवाया जा सकता

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

( सुरेश चौधरी )
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

है और न उसका कोई चार्जेज जमा करवाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की मिलीभगती के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 ने अपने आपको किरायेदार अथवा लीज होल्डर बताकर बिजली कनेक्शन सन् 2010 में हासिल कर लिया जबकि वे इस कृषि भूमि पर उक्त बिजली कनेक्शन का उपयोग कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बिजली का उपयोग कर उक्त बिजली कनेक्शन का भी दुरूपयोग कर रहे है, और अप्रार्थीगण संख्या 12 भी उनको उक्त गैर कानूनी कार्यवाही करने से नही रोक कर अपरोक्ष रूप से उनकी मदद कर रहा है। जो कार्यवाही अवेध व प्रभावशून्य ही नही बल्कि दण्डनीय अपराध की तारीफ में आती है। तथाकथित उपरोक्त भूमियां जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 ने अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में कृषि प्रयोजनार्थ लीज पर देने का झांसा देकर अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का नाजायज कब्जा करवा दिया जबकि आज तक किसी भी प्रकार की कोई लीजडीड लिखित में अथवा मौखिक रूप से नही बताई गई है, न प्रोपर स्टाम्प पर लिखी गई है, और न उसका पंजीकरण करवाया गया है। इस प्रकार से उपरोक्त समस्त कार्यवाहियां अनाधिकत अवेध व प्रभावशून्य है। और प्रार्थी संख्या 1 मंदिर मूर्ति के हितो के विरूद्ध है और प्रार्थी ऐसी अवेध कार्यवाही से बाध्य नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अप्रार्थी संख्या 8 को गलत व गैर कानूनी रूप से अपनी एक जेबी संस्था बना रखी है, जिसके तहत अप्रार्थी शांतिलाल सन् 2005 से 2009 तक अध्यक्ष रहे और अप्रार्थी मंत्री सुमन जी दगडा रहे और उसके बाद में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः अध्यक्ष व मंत्री चले आते रहे और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एंव 8 ने अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 से मिली भगती कर उपरोक्त अवेध अनाधिकृत कार्यवाहियां होने दी और अपने स्वंय के हितार्थ मुकदर्शक बने रहे और कारतामिरात होने दिया जो कारतामिरात सन् 2008 से शुरू कर दिया था। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 से उक्त कार्य को रूकवाने के लिये कहां तो वे अनसुनी करते रहे तब अप्रार्थीगण ने चुनाव की मांग की और मिटिंगे बुलाने के लिये कहां तो इन्कार कर दिया तब प्रार्थी ने उच्चअधिकारियों के यहां तथा सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के यहां दिनांक 04.05.2009 को शिकायत की, किन्तु न्यायालय सहायक आयुक्त अजमेर ने दिनांक 14.05.2010 को खारीज कर दी। तथा न्यायालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर केंप जयपुर के यहां अपील संख्या 66/2010 प्रस्तुत की गई उसका निर्णय दिनांक 13.12.2010 को हुआ। और कार्यवाही माननीय न्यायालय सेशन एंव जिला जज साहब अजमेर के यहां धारा 40 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के तहत पीटीशन पेश की गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने दिनांक 15.08.2014 को व्यंग्यात्मक भाषा में प्रार्थी को कहा कि उक्त कार्यवाही में निर्णय होने में काफी समय लग जायेगा तब तक हम इस जमीन का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते रहेंगे और लाभ उठाते रहेंगे और दीगर भूमियो पर भी कई अन्य लोगो को नाजायज कब्जा करवा देंगे। प्रार्थी कानून के जानकार नही है, और प्रार्थी शास्वत नाबालिग है, जिसके कारण से वे सदभाविक रूप से उक्त कार्यवाहीयो में लगे रहे इस कारण से यह दावा अन्दर मियाद है, और प्रार्थी की और से किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसके हित में दावा कर सकता है। और प्रार्थी उक्त मुकदमो में पक्षकार भी नही है। इसलिये उक्त निर्णय प्रार्थी पर बंधनकारी भी नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को काफी समझाया कि वादग्रस्त भूमियो पर से अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का कब्जा हटावाया जावे और वादग्रस्त

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

भूमियो को पूर्वतः कृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग होने देवे और नाबालिग प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा बनी रहे किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 दिनांक 25.08.2014 को इन्कार हो गये और उल्टा प्रार्थीगण को धमकी दी, कि तुम से जो होवे सो कर लो कब्जा नही छोडा जायेगा और ऐसे ही दीगर लोगो का नाजायज कब्जा करवा कर उसे बर्बाद करके रहेंगे। उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 26.09.2014 को मंदिर मूर्ति प्रार्थी की और से एक राजस्व वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें इस माननीय न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र संख्या 90 सन् 2014 में दिनांक 29.9.2014 को वादग्रस्त भूमियो के विषयो में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा इसमें व्यावसायिक व आवासीय कार्यवाही नही करने का आदेश भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारीत कर रखा है, जो आदेश आज दिन तक प्रभावशील है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 की और से श्री माधवगोपाल जी गर्ग एडवोकेट नियुक्त है, और प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 ने सम्मन व नोटिस तामील हो जाने के बावजूद भी जानबूझकर गैर हाजिर चले आ रहे है, और अपने खिलाफ में एकतरफा कार्यवाही करवा ली है। उक्त निषेधाज्ञा के जारी होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के इशारे व मिलीभगती से वादग्रस्त भूमियो के पूर्वी भाग के 3.6478 बीघा यानि 7061 वर्गगज भूमि पर कानून को हाथ में लेकर इस माननीय न्यायालय द्धारा जारी की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुये एच0एस0 पैलेस के नाम से विवाह स्थल के रूप में संचालित कर उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा है, और इस हेतू उसने जो बहुत सारे कमरे हॉल, लैट्रिंन बाथरूम व भोजनशाला व विवाहिक गार्डन जो बना रखा है, उसका उपयोग विवाह स्थल के रूप में अपने ग्राहको को किराये पर देकर नाजायज लाखो रूपयो की आय प्राप्त कर रहा है। और उसमें एक बचपन स्कूल के नाम से स्कूल संचालित कर रखी है, और उसका व्यवसायिक उपयोग इस माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा के बावजूद भी कर रहे है। इसी प्रकार से अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने अपने उक्त तथाकथित लीज वाले भाग में चांग चितार रोड से अपने मकान तक अवेध सडक व रास्ते का उपयोग अपने आवासीय प्रयोजनार्थ कर रहा है, जबकि अप्रार्थी संख्या 13 नगरपरिषद, ब्यावर भी इस निषेधाज्ञा के बावजूद भी जानबूझकर कोई कार्यवाही नही कर उन्हें उक्त नाजायज कार्यवाहीयां करने के लिये खुला छोड रखा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 13 कोई कार्यवाही नही कर रही है, और न अप्रार्थी संख्या 9 व 10 कोई कार्यवाही कर रहे है। इस प्रकार से उक्त आवासीय एंव व्यवसायिक कार्यो के लिये अप्रार्थी संख्या 12 से विद्युत सप्लाई भी प्राप्त कर रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 13 भी मुकदर्शक उक्त जानकारी होने के बावजूद भी बने हुये है, और अप्रत्यक्ष तौर पर अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 को सहयोग कर रहे है, और खुले आम इस माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा की पालना नही कर उसका उल्लंघन कर रहे है। और इस प्रकार से अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 की कार्यवाही हाईहेंडेडनेस की है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 13 भी निष्क्रिय होकर कोई कार्यवाही नही कर अराजकता फैला रहे है, जैसे कानून नाम की कोई वस्तु नही है। और प्रार्थी मंदिर मूर्ति उसके कृषि उपयोग से वंचित कर दिये गये है, ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमियो को इस न्यायालय की तहवील में लिया जाना व उसे कुर्क किया जाना एवं उस पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 कानून के विरूद्ध उक्त भूमियो का नाजायज उपयोग व उपभोग करते रहेंगे और इस

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

( सुरेश चौधरी )
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

माननीय न्यायालय द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते रहेंगे। उक्त सम्पत्ति मंदिर मूर्ति परपीच्यूअल माईनर की सम्पत्ति होने के कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बतौर गार्जीयन इसकी रक्षा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ऐसी सूरत में रिसीवर नियुक्त करने का आदेश अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 को बिना नोटिस दिये जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया केस बेखूबी साबित है, और सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में बनना पाया जाता है। अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के ही पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि उपरोक्त परिस्थितियो में वादग्रस्त सम्पत्तियो का पूर्वी भाग की 3.6478 बीघा यानि 7061 वर्गगज भूमि को ताफैसला वाद की अवधि तक कुर्क व सील्ड किया जावे तथा न्यायालय की तहवील में लिया जाकर उस पर रिसीवर नियुक्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे तथा इस विषय में रिसीवर नियुक्ति हेतू तुरन्त एकतरफा आदेश जारी किया जाकर इसे कुर्क किया जावे और रिसीवर भी नियुक्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4, व 8 नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर उनके जवाब का हक बन्द किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 7, 12 व 13 वर वक्त बहस उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 13 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि प्रार्थी अपने कथनो को स्वंय सिद्ध करे तथा यह भी कथन किया है, कि जब किसी भी प्रकार से किसी भी आवेदक के द्वारा कोई आवेदन ही प्राप्त नही हुआ तो किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति दिये जाने अथवा नही दिये जाने का प्रश्न कदापि उत्पन्न नही होता है नगरपरिषद, ब्यावर के द्वारा अतिक्रमण अथवा अवेध निर्माण इत्यादि होने पर एंव जानकारी में आने पर नियमानुार कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के द्वारा उत्तरकर्ता अप्रार्थी पर जो आरोप लगाये गये है, वो पूर्णतया गलत एंव मिथ्या है। उनमें किंचित मात्र भी सत्यता नही है। वादग्रस्त भूमियो को न्यायालय की तहवील में लिया जाता अथवा कुर्क किया जाता है, तथा रिसिवर नियुक्त किया जाता है, तो उत्तरकर्ता अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण से कानूनन पोषणीन नही होने की वजह से अप्रार्थी नगरपरिषद, ब्यावर के विरूद्ध खारीज किया जावे तथा खर्चा दिलाया जावे।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। वकील प्रार्थी ने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2008 पेज 720, आरआरडी 2014 पेज 553, आरआरडी 2015 पेज 438, आरआरडी 2003 पेज 542, आरआरडी 1983 पेज 539 प्रस्तुत किये।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम उनवान मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथजी बनाम श्री शांतिलाल व अन्य में दिनांक 29.09.2014 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थीगण को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने तथा व्यावसायिक व आवासीय कार्यवाही नहीं किये

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

( सुरेश चौधरी )
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

जाने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम फतेहपुरिया II की जमाबन्दी संवत् 2060–63 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 225 में तथा जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 311 में हाल खसरा नंबर 1102 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2, 1103 रकबा 01–14–00 किस्म चाही–2, 1104 रकबा 00–13–00 किस्म चाही–1, 1106 रकबा 00–04–10 किस्म गै.मु.चाह, 1107 रकबा 07–00–00 किस्म चाही–2 व खसरा नंबर 1107/1146 रकबा 00–16–00 किस्म चाही–1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 11–12–10 मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी सा. नयानगर के नाम दर्ज है तथा उक्त संवत् 2060–63 की खसरा गिरदावरी में मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी सा. नयानगर द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। उपशासन सचिव महोदय, देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक प0 5/32 (देव/2003) जयपुर दिनांक 13.10.2003 में पंजीकृत प्रन्यास श्री दिगम्बर जैन मंदिर पंचायत ब्यावर को जिला अजमेर की कृषि भूमि को ट्रस्ट के विधान में अंकित उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959की धारा 79 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रय/99 वर्ष लीज की स्वीकृति प्रदान किया जाना अंकित है जिसकी प्रतिलिपि श्री ताराचन्द बड़जात्या, अध्यक्ष को दिया सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड अजमेर दिया जाना अंकित है। उक्त स्वीकृति दिनांक 13.10.2003 को शासन उपसचिव महोदय देवस्थान विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.5 (32) देव/2003 जयपुर दिनांक 12.01.2005 से निरस्त की गई जिसकी प्रतिलिपि भी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड अजमेर द्वारा श्री ताराचंद बड़जात्या अध्यक्ष श्री दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर को दी गई है। उक्त ट्रस्ट ने उक्त भूमियों में से श्री प्रीतमसिंह दुवा को 1.2159 बीघा, श्री बालमुकन्द अरोड़ा को 1.2159 बीघा, श्री गुरू बच्चन सिंह को 1.2159 बीघा को 29 साल की लीज पर दी गई है। दिनांक 07.12.2007 को तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक राजस्व/07/2455 से खसरा संख्या 1102, 1103, 1104, 1107/1146 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 04–08–00 भूमि पर कृषि एवं बगीचे की सुरक्षा व जंगलीजानवरों इत्यादि से बचाव हेतु चारदीवारी निर्माण हेतु अनुमति दिया जाना अंकित है। श्री दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर द्वारा श्री गुरूबचन पंजाबी को किराये पर तीन साल के लिए बगीचा हेतु दिया जाना का किरायानामा की प्रति दिनांक 16.09.2008 प्रस्तुत की है। न्यायालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर केंप जयपुर के यहां अपील संख्या 66/2010 प्रस्तुत निर्णय दिनांक 13.12.2010 को करते हुए सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के प्रकरण संख्या 104/अ/2009 निर्णय दिनांक 14.05.2010 को निरस्त किया गया है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर यद्यपि कोई दस्तावेजी साक्ष्य से विक्रय सिद्ध नहीं है लेकिन जमीन पर जिस तरह से अतिक्रमण बताया है तथा जिस तरह से इस प्रन्यास संपदा की देखभाल किये जाने का उल्लेख किया गया है वह प्रन्यास प्रबन्धन से अपेक्षित नहीं है। लोक प्रन्यास चूंकि एक सार्वजनिक संगठन है जिसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही प्रन्यास प्रबन्धन का मुख्य दायित्व है। हांलांकि प्रार्थीगण न्यास संम्पत्ति के दुरूपयोग एवं कुप्रबन्धन को साबित नहीं कर पाये हैं। यहां यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात पर किसी प्रकार के कब्जे को लेकर कोई विवाद की स्थिति भी उत्पन्न नहीं हुई है एवं ना ही परिशांति भंग होने जैसी कोई

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

( सुरेश चौधरी )
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

स्थिति पाई गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम फतेहपुरिया दोयम पटवार क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम में रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा विवादग्रस्त भूमियों में वाणिज्यिक एवं आवासीय भूमियों के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया जावे। यदि उक्त विवादग्रस्त भूमियों में किसी प्रकार की कोई अविधिक गतिविधि की जाती है तो प्रन्यास अपने विधान अनुसार व विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में ग्राम फतेहपुरिया दोयम की वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 1102 रकबा 01—05—00 किस्म चाही—2, 1103 रकबा 01—14—00 किस्म चाही—2, 1104 रकबा 00—13—00 किस्म चाही—1, 1106 रकबा 00—04—10 किस्म गै.मु.चाह, 1107 रकबा 07—00—00 किस्म चाही—2 व खसरा नंबर 1107 / 1146 रकबा 00—16—00 किस्म चाही—1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 11—12—10 पर प्रार्थीगण द्वारा लाया गया रिसीवरी बाबत् यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने नहीं होने से खारिज़ किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22-10-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर